3

105 नक्सलियों के बने मनरेगा रोजगार जॉब कार्ड

5

संवैधानिकता और सौम्यता का प्रतीक है पाटिल

6

पहला असिस्टिव हेल्थ टेक्नोलॉजी हैकाथॉन

RNI-MPBIL/2011/39805 DAVP/134083/25

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

# जगत प्रवाह

वर्ष : 16 अंक : 32 प्रति सोमवार, 15 दिसंबर 2025 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

# मध्यप्रदेश में अन्नदाताओं की बदहाल स्थिति, आखिर क्यों साध रखी है मुख्यमंत्री ने चुप्पी?

## आखिर मध्यप्रदेश में कब तक किसानों को खाद और यूरिया की कमी से जूझना पड़ेगा

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

मध्यप्रदेश, जिसे लंबे समय से कृषि प्रधान राज्य कहा जाता रहा है, आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ अन्नदाता ही अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। खेती को लाभ का धंधा बनाने के सरकारी वादों के बीच प्रदेश के किसान खाद और यूरिया जैसी आधारभूत जरूरतों की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि कई जिलों में किसान घंटों लंबी कतारों में खड़े होकर भी खाद नहीं प्राप्त कर पा रहे। इसके बावजूद मुख्यमंत्री और सरकार की ओर से कोई ठोस समाधान सामने न आना, किसानों के आक्रोश और अविश्वास को और गहरा कर रहा है।

### बंद कमरों की समीक्षा बैठकें और कागजी आश्वासन

सरकार द्वारा समय-समय पर आयोजित की जाने वाली समीक्षा बैठकों में किसानों को नई-नई योजनाओं के लुभावने वादे तो सुनाए जाते हैं, परंतु जमीनी हालात उन दावों से बिल्कुल उलट दिखाई देते हैं। किसान बार-बार यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या केवल बैठकों में लिये गए निर्णय, निर्देश और प्रेस विज्ञप्तियां वास्तव में खेत तक पहुँचती भी हैं या नहीं? योजनाओं की घोषणाएँ भले ही बड़े मंचों पर गूंजती हों, पर खेतों में बोनी के लिए परेशान किसान आज भी खाद की एक बोरी के लिए रात भर लाइन में खड़े होने को मजबूर हैं। यह स्थिति बताती है कि संकट का समाधान कागज पर नहीं, बल्कि तत्काल और जमीनी कार्रवाई से ही संभव है।

(शेष पेज 2 पर)

छत्तीसगढ़ में साय सरकार के दो वर्ष

# जनविश्वास और विकास का संकल्प को लेकर चला साय सरकार का कार्यकाल

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने कार्यकाल के दो वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। यह दो वर्ष केवल सत्ता संचालन का समय नहीं रहे, बल्कि प्रदेश की राजनीति में सुशासन, संवेदनशीलता और जनकल्याण को केंद्र में रखने की एक नई कार्यशैली के रूप में देखे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शपथ ग्रहण के पहले दिन से ही यह स्पष्ट कर दिया था कि उनकी सरकार का प्राथमिक उद्देश्य आमजन का जीवन आसान बनाना और विकास को अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुँचाना होगा। साय सरकार की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि सत्ता संभालते ही उसने नीतियों और निर्णयों में गति दिखाई। सरकार ने यह संदेश दिया कि प्रशासनिक निर्णय फाइलों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि

जमीन पर उतरेंगे। किसानों, आदिवासियों, महिलाओं, युवाओं और गरीब वर्ग के लिए योजनाओं को पुनर्संरचित कर उन्हें प्रभावी रूप से लागू किया गया। सरकार का फोकस केवल नई योजनाओं पर नहीं, बल्कि पुरानी योजनाओं की पारदर्शिता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने पर भी रहा। भ्रष्टाचार पर सख्त रुख, प्रशासनिक जवाबदेही और समयबद्ध निर्णय प्रक्रिया ने शासन को अधिक भरोसेमंद बनाया।

### युवाओं को मिला अवसर और आत्मविश्वास

विष्णुदेव साय सरकार के कार्यकाल में युवा वर्ग को विशेष प्राथमिकता दी गई। रोजगार, कौशल विकास और स्वरोजगार को लेकर सरकार ने कई ठोस कदम उठाए। प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, भर्ती प्रक्रियाओं में सुधार और समय पर परिणामों की घोषणा ने युवाओं में भरोसा पैदा किया। युवाओं के लिए स्टार्टअप, प्रशिक्षण कार्यक्रम और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। ग्रामीण और आदिवासी अंचलों के युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयासों ने यह संकेत दिया कि सरकार केवल शहरी युवाओं तक सीमित नहीं है। (शेष पेज 2 पर)

# एसआईआर को लेकर मध्यप्रदेश में नया विवाद; एसआईआर के नाम पर ब्लैकमेल कर रही मध्यप्रदेश सरकार

**पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जताई मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बयान पर आपत्ति; कहा- सरकार जनता को डराने-धमकाने का काम कर रही है**

-विजया पाठक

मध्यप्रदेश में हाल में एसआईआर के बीच हुए एक विवाद ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने एक समारोह के दौरान कहा कि यदि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं हुआ तो उसे राशन, पानी और अन्य सरकारी सुविधाएँ न मिले, एक बयान जिसने कई लोगों में चिंता और आक्रोश खड़ा कर दिया। उनके इस बयान को सत्तारूढ़ दल की ओर से लोगों को डराने-धमकाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। जैसे कि वोटर-लिस्ट में नाम जुड़वाना गुजर नहीं, बल्कि बाध्यता हो। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस

बयान को "जनता को डराने-धमकाने" वाला कहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह बयान दिखाता है कि किस तरह सत्ता पक्ष मतदाताओं को वोटबैंक के रूप में देख रहा है, न कि नागरिक और उन्हें मिले संवैधानिक अधिकारों का सम्मान करते हुए। कमलनाथ का कहना है कि इस तरह की धमकी कि वोटर सूची में नाम नहीं जोड़ा, तो राशन-पानी बंद लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों पर हमला है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कांग्रेस व अन्य विपक्षी दल इस पर तमाम संवैधानिक, सामाजिक और वैधानिक कदम उठाएंगे ताकि किसी भी नागरिक को उनके मूलभूत अधिकार से वंचित न होना पड़े। (शेष पेज 7 पर)

# सरकार की नीतियां और किसान की पीड़ा, खाद–यूरिया संकट ने खोली सिस्टम की पोल

(पेज 1 का शेष)

## किसानों की सबसे बड़ी चुनौती

किसानों का कहना है कि खाद और यूरिया की उचित सप्लाई न होने से उनकी फसलें प्रभावित हो रही हैं। बोनी के समय आवश्यक मात्रा में खाद न मिलने से उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, जिसकी सीधी चोट किसान की आय पर पड़ती है। स्थिति यह है कि सरकारी दुकानों पर पर्याप्त खाद नहीं मिलती, वहीं निजी दुकानों पर यह कई गुना अधिक कीमतों पर बेची जा रही है। मजबूरी में किसान कर्ज उठाकर महंगे दाम पर खाद खरीदने को विवश हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से लगातार ऐसी खबरें भी सामने आई हैं कि खाद लेने के लिए किसानों को रात भर ट्रैक्टर और साइकिलों पर लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। कई जगहों पर खाद वितरण केंद्रों पर अव्यवस्था और अफरातफरी की खबरें भी सामने आई हैं, जिसने किसान संकट को और गहरा कर दिया है।

## किसानों की मौतें गंभीर चेतावनी

स्थिति की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खाद और यूरिया की कमी के कारण मानसिक तनाव में आए किसानों की मृत्यु की खबरें भी विभिन्न क्षेत्रों से आती रही हैं। कहीं दबाव और निराशा के चलते किसानों ने फांसी लगा ली, तो कहीं अचानक लाइन में खड़े-खड़े उनकी तबीयत बिगड़ गई। यद्यपि इन घटनाओं पर विस्तृत सरकारी जाँच व पुष्टि आवश्यक है, पर ग्रामीण इलाकों में व्याप्त तनाव और अनिश्चितता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रत्येक ऐसी घटना सरकार के लिए एक चेतावनी है कि कृषक समुदाय आज भय और असुरक्षा की स्थिति से गुजर रहा है।

## मुख्यमंत्री ने नहीं लिया अब तक कोई संज्ञान

इन गंभीर हालातों के बीच मुख्यमंत्री की ओर से ठोस बयान या राहत योजना का अभाव किसानों में असंतोष को जन्म दे रहा है। राज्य के कई कृषक संगठन यह पूछ रहे हैं कि जब प्रदेश का अन्नदाता संकट में है, तब सरकार चुप क्यों है? क्या यह समय नहीं है कि मुख्यमंत्री स्वयं किसानों के बीच जाकर स्थिति का आकलन करें और प्रत्यक्ष समाधान प्रस्तुत करें? कृषि नीति विशेषज्ञों का भी मानना है कि किसानों की समस्याएँ मौसमी नहीं, बल्कि संरचनात्मक हो चुकी हैं। खाद आपूर्ति का प्रबंधन, वितरण प्रणाली की पारदर्शिता, जमीनी निगरानी और त्वरित निर्णय सरकार को इन सभी बिंदुओं पर गंभीरता से काम करना होगा।

## कर्ज का बोझ और बढ़ती मजबूरी

खाद न मिलने के कारण किसान जब महंगे दाम पर निजी स्रोतों से खरीदारी करते हैं तो वे और अधिक कर्ज में डूब जाते हैं। कर्ज एक ऐसा बोझ बन जाता है जो उन्हें पूरे साल मानसिक तनाव में रखता है। यह स्थिति केवल उनकी अर्थव्यवस्था ही नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन पर भी असर डालती है। जब किसान अपनी फसल उगाने के लिए ही कर्ज लेने को मजबूर हो जाए, तो खेती उसके लिए लाभ का धंधा कैसे बनेगी?

## समृद्ध अन्नदाता सिर्फ नारा बनकर रह गया

सरकार और प्रशासन अक्सर "समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश" जैसे नारे लगाते हैं, पर इन नारों को अन्नदाता तभी सच स्वीकार करेगा जब उसकी मूलभूत जरूरतें समय पर और उचित मात्रा में पूरी हों। क्या वह दिन कभी आएगा जब उन्हें खाद, बीज, सिंचाई और बाजार की समस्याओं से मुक्त होकर सम्मानित जीवन मिलेगा? क्या मुख्यमंत्री और संबंधित विभाग किसान की वास्तविक पीड़ा को समझकर समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेंगे?

## सरकार को उठाने होंगे ठोस कदम

किसानों की समस्याएँ गम्भीर हैं, पर समाधान संभव है यदि सरकार इन्हें प्राथमिकता देते हुए इन कदमों को लागू करे खाद और यूरिया की सप्लाई चेन की पारदर्शी और रियल-टाइम निगरानी, ग्रामीण क्षेत्रों में खाद वितरण केंद्र बढ़ाना और भीड़ नियंत्रण प्रणाली लागू करना, काला बाजारी और ओवर-रेटिंग पर कड़ी कार्रवाई, किसानों से सीधा संवाद-मुख्यमंत्री का जमीनी दौरा, जरूरतमंद किसानों को आपातकालीन राहत पैकेज, कर्जग्रस्त किसानों के लिए आसान पुनर्भुगतान और ब्याज में राहत। मध्यप्रदेश में खाद और यूरिया का संकट केवल कृषि पर ही नहीं, बल्कि किसान की मानसिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर गंभीर चोट पहुँचा रहा है। अन्नदाता की यह बदहाली प्रदेश के लिए चिंता का विषय होनी चाहिए। मुख्यमंत्री और सरकार को चाहिए कि वे चुप्पी तोड़कर किसानों की दर्दनाक स्थिति पर तुरंत संज्ञान लें और राहत प्रदान करें। क्योंकि जब तक अन्नदाता सुरक्षित और समृद्ध नहीं होगा, तब तक कोई भी प्रदेश वास्तविक अर्थों में प्रगति नहीं कर सकता।

# जनविश्वास और विकास का संकल्प को लेकर चला साय सरकार का कार्यकाल

(पेज 1 का शेष)

## महिला सशक्तिकरण को मिली नई दिशा

साय सरकार ने महिला सशक्तिकरण को केवल नारे तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे नीतिगत रूप दिया। स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक संबल, महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से महिलाओं की भागीदारी को मजबूत किया गया। ग्रामीण महिलाओं को आजीविका से जोड़ने, उनके उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने और वित्तीय साक्षरता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। इससे महिलाओं में आत्मनिर्भरता का भाव मजबूत हुआ और वे परिवार व समाज में निर्णायक भूमिका निभाने लगीं।

## कमजोर और वंचित वर्गों के लिए संवेदनशील शासन

छत्तीसगढ़ की सामाजिक संरचना में आदिवासी, दलित और कमजोर वर्गों की बड़ी भूमिका है। साय सरकार ने इन वर्गों के कल्याण को अपनी प्राथमिकता में रखा। आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए योजनाओं को गति दी गई। सरकार का प्रयास रहा कि योजनाएं केवल आंकड़ों तक सीमित न रहें, बल्कि वास्तविक लाभार्थियों तक पहुँचें। पेंशन, आवास, राशन और स्वास्थ्य सुविधाओं के वितरण में पारदर्शिता ने सरकार की नीयत को स्पष्ट किया।

किसानों के लिए राहत और सम्मान

कृषि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। साय सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और कृषि से जुड़े ढांचे को मजबूत करने पर काम किया। समर्थन मूल्य, बीज-उर्वरक की उपलब्धता और ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार ने किसानों को राहत दी। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि किसान केवल उत्पादन तक सीमित न रहें, बल्कि मूल्य संवर्धन और बाजार से सीधे जुड़ सकें।

## सुशासन और प्रशासनिक सुधार

विष्णुदेव साय सरकार की कार्यशैली में सादगी और संवाद प्रमुख रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वयं जिलों के दौरे कर योजनाओं की समीक्षा करते रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को जवाबदेह बनाना, समय पर फाइल निपटान और जनसुनवाई जैसे कदमों ने शासन को अधिक संवेदनशील बनाया। डिजिटल तकनीक के उपयोग से सेवाओं को सरल किया गया, जिससे आम नागरिक को दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़े।

## विकास और विश्वास की राजनीति

दो वर्षों में साय सरकार ने यह संदेश देने का प्रयास किया कि विकास केवल इमारतों या घोषणाओं से नहीं, बल्कि विश्वास से होता है। सरकार और जनता के बीच संवाद को प्राथमिकता दी गई। विपक्षी आलोचनाओं के बीच भी सरकार ने अपने एजेंडे पर काम जारी रखा। दो वर्ष पूरे होने के साथ ही साय सरकार के सामने चुनौतियाँ भी हैं। रोजगार के अवसरों का विस्तार, औद्योगिक निवेश, शिक्षा-स्वास्थ्य की गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे का निरंतर विकास। लेकिन जिस तरह सरकार ने पहले दो वर्षों में संतुलित और जनोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाया है, उससे यह संकेत मिलता है कि आने वाले वर्षों में यह यात्रा और मजबूत होगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के दो वर्ष छत्तीसगढ़ की राजनीति में स्थिरता, संवेदनशीलता और सेवा भाव के रूप में दर्ज हो रहे हैं। जनकल्याण को केंद्र में रखकर किए गए फैसलों ने सरकार को जनता के करीब लाया है। युवा, महिला और कमजोर वर्गों को मिला संबल इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। साय सरकार का यह दो वर्षीय सफर इस विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है कि सुशासन और समावेशी विकास ही समृद्ध छत्तीसगढ़ की नींव है।

# अनुशासन, चरित्र निर्माण और राष्ट्रभक्ति की शिक्षा के लिए मशहूर सैनिक स्कूल घोड़ाखाल

-संवाददाता

जगत प्रवाह. देहरादून। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल ने एक और उपलब्धि अपने नाम दर्ज की है। एक मार्च 1966 को स्थापित इस प्रतिष्ठित संस्थान ने अब तक देश को 850 से अधिक सैन्य अधिकारी दिए हैं। अनुशासन, चरित्र निर्माण और राष्ट्रभक्ति की शिक्षा के लिए मशहूर सैनिक स्कूल घोड़ाखाल ने एक और उपलब्धि अपने नाम दर्ज की है। एक मार्च 1966 को स्थापित इस प्रतिष्ठित संस्थान ने अब तक देश को 850 से अधिक सैन्य अधिकारी दिए हैं। इनमें कई अधिकारी ऐसे भी हैं जो भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में शीर्ष पदों तक पहुंचकर नेतृत्व की मिसाल पेश कर रहे हैं।

स्थापना के शुरुआती दिनों में महज 60 कैडेट, 7 शिक्षक और 5 प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ शुरू हुए इस स्कूल ने समय के साथ खुद को देश के शीर्ष सैनिक विद्यालयों की श्रेणी में स्थापित किया। 1969 में पहला बैच स्नातक होने के साथ ही घोड़ाखाल की गौरवशाली परंपरा की नींव मजबूत हुई और जो आज भी जारी है। स्कूल की उपलब्धियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एनडीए, आईएमए और टीएस में अब तक सबसे अधिक कैडेट भेजने वाले सैनिक स्कूलों में घोड़ाखाल अग्रणी रहा है। इस वर्ष स्कूल अपने 60 गौरवशाली वर्षों को हीरक जयंती के रूप में मना रहा है। यह सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि उस समृद्ध विरासत का सम्मान भी है, जिसने इस संस्थान को देश के सबसे सफल सैनिक स्कूलों में खड़ा किया है। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की यह यात्रा बताती है कि सीमित संसाधनों से शुरू हुई पहल कैसे समर्पण, अनुशासन और दृढ़ संकल्प के दम पर राष्ट्रीय गौरव बन सकती है।

# मुख्यधारा से जुड़ रहे आत्मसमर्पित नक्सली, 105 नक्सलियों के बने मनरेगा रोजगार जॉब कार्ड

-शशि पांडे

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप राज्य में मुख्यधारा से जुड़कर शांति का मार्ग अपनाने वाले आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में सुकमा जिला प्रशासन ने आत्मसमर्पित नक्सलियों को स्थायी आजीविका से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 105 आत्मसमर्पित नक्सलियों के मनरेगा जॉब कार्ड तैयार कर वितरित किए हैं। इस पहल के लिए जिले के प्रभारी मंत्री एवं वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने जिला प्रशासन को बधाई दी है।

### मनरेगा के तहत जॉब कार्डधारी को रोजगार

सुकमा जिला कलेक्टर के निर्देश पर तथा जिला पंचायत सीईओ के मार्गदर्शन में पुनर्वास केंद्र में विशेष शिविर आयोजित किया गया, जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के लाभों से आत्मसमर्पित नक्सलियों को जोड़ा गया। मनरेगा के तहत जॉब कार्डधारी परिवारों को उनके ही गांव में 100 दिनों का वैधानिक रोजगार उपलब्ध कराया जाता है तथा दैनिक 261 रुपये मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जाता है।

### आत्मसमर्पित 105 लोगों को मिला रोजगार का अधिकार

शिविर में मौजूद सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों ने योजना का लाभ लेने एवं जॉब कार्ड बनवाने में रुचि दिखाई। प्रशासन की पारदर्शी प्रक्रिया के फलस्वरूप कुल 105 आत्मसमर्पित नक्सलियों जिसमें 62 पुरुष और 43 महिला शामिल हैं, उनके जॉब कार्ड तैयार कर उन्हें वितरित किए गए।

### पुनर्वास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने अनेक हितग्राहीमूलक कार्य

पुनर्वास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिविर में आजीविका डबरी निर्माण, बकरी शेड, मुर्गी शेड और सूअर शेड आदि हितग्राहीमुखी कार्यों की भी जानकारी दी गई। इन योजनाओं से आत्मसमर्पित युवक-युवतियों को भविष्य में स्थायी आय के साधन विकसित करने में मदद मिलेगी। शिविर के दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

# किसानों का हल्ला बोल : देवरी में कांग्रेस की 'जन आक्रोश रैली' में उमड़ा ट्रैक्टरों का सैलाब

## MSP, बिजली-खाद संकट और मुआवज़े की मांग पर गरजे पूर्व मंत्री हर्ष यादव

-अमित राजपूत

जगत प्रवाह. देवरीकला। देवरी विधानसभा में किसानों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। खरीफ फसलों के नुकसान, राहत राशि में देरी, समर्थन मूल्य की अनियमितताओं और बिजली-खाद संकट को लेकर कांग्रेस द्वारा आयोजित 'किसान जन आक्रोश रैली' में क्षेत्रभर से किसान अपने-अपने ट्रैक्टरों के साथ बड़ी संख्या में शामिल हुए। रैली ने पूरे नगर को आंदोलन के माहौल में बदल दिया। रैली की शुरुआत कांग्रेस कार्यालय, छीर बायपास से हुई। वहां से ट्रैक्टरों का लंबा काफिला नगर के मुख्य मार्गों से गुजरता हुआ कृषि मंडी प्रांगण पहुंचा। रास्ते भर किसानों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। मंडी प्रांगण में आयोजित सभा में पूर्व मंत्री हर्ष यादव और कांग्रेस जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मुहासा ने किसानों की समस्याओं पर तीखा हमला बोला। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार किसान विरोधी नीतियों पर चल रही है और संकटग्रस्त किसानों को राहत देने में नाकाम रही है। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री हर्ष यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहा था कि किस की आय दुगनी करेंगे पर किसान आज भी कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है।

### ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस ने किसानों के इन मुद्दे को उठाया है

मक्का का घोषित 2400 प्रति क्विंटल MSP अभी तक किसानों को नहीं मिल रहा। धान का MSP बढ़ाकर 3100 प्रति क्विंटल किया जाए। सोयाबीन का MSP 6000 प्रति क्विंटल तय किया जाए। किसानों को निर्बाध एवं पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराई जाए। अघोषित विद्युत कटौती पर तत्काल रोक लगे। खाद-उर्वरक समय पर उपलब्ध कराया जाए। प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा तुरंत मिले। मेहनतकश किसानों का कर्ज माफ किया जाए। सभा के बाद किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कृषि मंडी में भाजपा सरकार का पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया। इसके बाद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम को राज्यपाल के नाम 6 सूत्री ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में देवरी विधानसभा के सैकड़ों किसान, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, किसान कांग्रेस, एनएसयूआई सहित विभिन्न मोर्चा-प्रकोष्ठों के पदाधिकारी भारी संख्या में मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने किसानों की मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया, तो यह आंदोलन और ज्यादा उग्र रूप लेगा।

# आईएएस श्रीमती सहिला ने जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया

-अमित राय

जगत प्रवाह. बक्सर। श्रीमती सहिला, आईएएस (2018 बैच) ने बक्सर जिला की जिलाधिकारी के रूप में विधिवत जिलाधिकारी कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने यह दायित्व आईएएस डॉ. विद्यानंद सिंह से प्राप्त किया। कार्यभार ग्रहण के उपरांत समाहरणालय सभाकक्ष में एक अभिनंदन/सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नव-जिलाधिकारी का हार्दिक स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन आलमा मुख्तार, ईडीसी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से एडीएम बक्सर, एसडीएम बक्सर, एसडीएम डुमरांव, जिला स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। नव-जिलाधिकारी श्रीमती सहिला ने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को सहयोग व टीम भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया तथा जिले के समग्र विकास और सुशासन की प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यक्रम गरिमामय एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ।

# 18 लाख के रपटे प्लस स्टाप डेम का हुआ भूमिपूजन

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। जनपद पंचायत टिमरनी अंतर्गत ग्राम पंचायत सिरकम्बा के ग्राम बहरागांव में हांडिल्य नदी पर रपटा प्लस स्टाप डेम का भूमिपूजन विधायक अभिजीत शाह मकड़ाई और जिला पंचायत अध्यक्ष गजेन्द्र शाह द्वारा किया गया। ग्राम बहरागांव से गाड़ामोड़ जाने वाले मार्ग पर हांडिल्य नदी पड़ती है। इस नदी में बारह महिने पानी रहता है जिससे किसानों को काफी दिक्कत होती है। विधायक अभिजीत शाह ने चुनाव के पहले ग्रामवासियों से वादा किया था जो पूर्ण हो रहा है। ग्राम पंचायत सरपंच शांति लाल गौर और सचिव रामपाल सोलंकी ने बताया कि विधायक द्वारा अपनी निधि से 5 लाख रूपए, जिला पंचायत अध्यक्ष गजेन्द्र शाह द्वारा जिला पंचायत से 10 लाख रूपए और ग्राम पंचायत से 3 लाख 7 हजार रुपए लगाकर उक्त नदी पर रपटा प्लस स्टाप डेम बनाया जा रहा है। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि लीलाधर बांके जनपद उपाध्यक्ष अनिल वर्मा लिबर्टी जनपद सदस्य गौरीशंकर बारंगे सहित ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष विनोद पटेल ग्राम पंचायत के उपसरपंच पंच और ग्रामीणजन उपस्थित रहे। भूमिपूजन पश्चात सभी अतिथियों का साफा पहनाकर कर श्रीफल भेंटकर कर पुष्प माला से स्वागत किया गया। नदी किनारे लगी जमीन दान देने वाले किसान का विधायक द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया गया। समस्त ग्रामवासियों ने विधायक जिला पंचायत अध्यक्ष सहित सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया।

## सम्पादकीय

# वंदे मातरम् के 150 वर्षः राष्ट्र चेतना, स्वाभिमान और सांस्कृतिक आत्मा का उद्घोष

"वंदे मातरम्" यह केवल दो शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का स्वर है। यह वह उद्घोष है जिसने गुलामी के अंधकार में जकड़े राष्ट्र को चेतना, साहस और संघर्ष का मार्ग दिखाया। वर्ष 1875 में बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम् आज अपनी 150वीं जयंती पर हमें स्मरण कराता है कि राष्ट्र केवल भौगोलिक सीमा नहीं, बल्कि साझा संस्कृति, त्याग और संकल्प से निर्मित जीवंत चेतना है। वंदे मातरम् का जन्म उस दौर में हुआ, जब भारत औपनिवेशिक दासता की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। यह रचना बंकिमचंद्र की कालजयी कृति आनंदमठ का हिस्सा थी, लेकिन शीघ्र ही यह साहित्य की सीमाओं से बाहर निकलकर स्वतंत्रता आंदोलन का उद्घोष बन गई। जिस समय हथियार उठाना कठिन था, उस समय यह गीत ही सबसे सशक्त शस्त्र बना। स्वतंत्रता संग्राम के हर चरण में- चाहे वह कांग्रेस के अधिवेशन हों, क्रांतिकारियों की गुप्त सभाएं हों या जन आंदोलनों की अग्रिम पंक्तियाँ "वंदे मातरम्" राष्ट्र की धड़कन बनकर गूंजता रहा।

वंदे मातरम् की सबसे बड़ी विशेषता है मातृभूमि को देवी स्वरूप में देखने की दृष्टि। भारतीय परंपरा में भूमि केवल संसाधन नहीं, बल्कि जननी है। बंकिमचंद्र ने इसी दर्शन को शब्द दिए जहाँ खेत, नदियाँ, पर्वत और वन केवल प्राकृतिक तत्व नहीं, बल्कि राष्ट्र की जीवन रेखाएँ हैं। यह गीत हमें यह भी सिखाता है कि राष्ट्रभक्ति केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि कर्तव्यबोध से जुड़ी होनी चाहिए। मातृभूमि की वंदना तभी सार्थक है, जब उसकी रक्षा, उन्नति और सम्मान के लिए सतत प्रयास हों। 1905 के बंग-भंग आंदोलन से लेकर 1947 की आज़ादी तक, वंदे मातरम् स्वतंत्रता सेनानियों का ऊर्जा स्रोत बना रहा। अंग्रेजी हुकूमत ने इसे प्रतिबंधित करने का प्रयास किया, क्योंकि वे जानते थे कि यह गीत भारतीयों को भयमुक्त कर रहा है।

लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, सुभाष चंद्र बोस और अनगिनत क्रांतिकारियों के लिए वंदे मातरम् केवल नारा नहीं, बल्कि आत्मबल था। फांसी के तख्ते पर चढ़ते समय भी अनेक वीरों के होंठों पर यही शब्द थे। स्वतंत्र भारत में वंदे मातरम् को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया। यह निर्णय भारत की बहुलतावादी आत्मा का प्रतीक है, जहाँ अलग-अलग भाषाएँ, धर्म और संस्कृतियाँ होते हुए भी राष्ट्र की भावना एक है। आज जब भारत विश्व मंच पर एक उभरती शक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है, तब वंदे मातरम् हमें यह स्मरण कराता है कि आर्थिक प्रगति के साथ सांस्कृतिक चेतना का संतुलन आवश्यक है। विकास तभी सार्थक है, जब वह राष्ट्र की आत्मा से जुड़ा हो। आज के समय में जब उपभोक्तावाद, व्यक्तिगत स्वार्थ और वैचारिक ध्रुवीकरण समाज को प्रभावित कर रहे हैं, वंदे मातरम् की भावना और अधिक प्रासंगिक हो जाती है। यह गीत हमें जोड़ता है- भाषा से परे, मत से परे, वर्ग से परे। यह हमें यह प्रश्न भी देता है—क्या हम आज भी उतनी ही निष्ठा से अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य निभा रहे हैं? क्या स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता और ईमानदारी भी राष्ट्रभक्ति के ही रूप नहीं हैं? आज की युवा पीढ़ी के लिए वंदे मातरम् को केवल पाठ्यपुस्तक या औपचारिक आयोजन तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। इसके पीछे छिपे संघर्ष, विचार और आत्मसम्मान को समझाना आवश्यक है। डिजिटल युग में राष्ट्रभक्ति का स्वरूप बदला है, लेकिन उसका मूल भाव आज भी वही है राष्ट्र सर्वोपरि।

## सियासी गहमागहमी

### शिवराज के दिल्ली स्थित आवास पर क्यों पहुंचे मध्यप्रदेश के सांसद?

दिल्ली में अगर मौसम बदलता है तो लोग छाता ढूंढते हैं, लेकिन अगर मध्यप्रदेश की राजनीति में हलचल होती है तो सांसद सीधे शिवराज सिंह चौहान के आवास का रास्ता पकड़ लेते हैं। सवाल उठना स्वाभाविक है। आखिर ऐसा क्या जादू है इस बंगले में कि सत्ता में न होते हुए भी यहाँ राजनीतिक तीर्थयात्रा जारी रहती है? कहा जा रहा है कि यह कोई औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि "मार्गदर्शन दर्शन" का कार्यक्रम था। दरअसल, मध्यप्रदेश के कई सांसद आज भी मानते हैं कि फाइलें भले भोपाल में चलें, लेकिन राजनीतिक मौसम का पूर्वानुमान दिल्ली से ही मिलता है और वह भी शिवराज निवास से। कुछ सांसद अपनी-अपनी राजनीतिक कुंडली लेकर पहुँचे थे। किसी को टिकट की चिंता, किसी को संगठन की नाराज़गी, तो कोई बस यह जानने आया था कि "भइया, हवा किस ओर बह रही है?" सूत्र बताते हैं कि बातचीत के दौरान विकास कम और भविष्य ज्यादा चर्चा में रहा। यह भी कहा जा रहा है कि यह मुलाकात सत्ता परिवर्तन की नहीं, बल्कि सत्ता-संतुलन की रिहर्सल थी। राजनीति में कुर्सी भले बदल जाए, लेकिन सलाह का पता वही रहता है।

### भूपेश बघेल की बढ़ सकती हैं मुसीबतें, ईडी से जल्द जारी होगा नोटिस

राजनीति में कुछ खबरें इतनी नियमित हो जाती हैं कि वे मौसम पूर्वानुमान जैसी लगने लगती हैं। "ईडी का नोटिस आने वाला है" यह वाक्य अब भूपेश बघेल के राजनीतिक कैलेंडर में किसी त्योहार की तरह दर्ज होता दिख रहा है। तारीख बदलती रहती है, लेकिन सुर्खी वही रहती है। सूत्रों के मुताबिक, नोटिस "जल्द" आएगा। भूपेश बघेल समर्थकों का कहना है कि यह सब राजनीतिक दबाव की रणनीति है, जबकि विरोधियों को लगता है कि अबकी बार मामला गंभीर है। दिलचस्प यह है कि दोनों पक्षों के तर्क नोटिस आने से पहले ही पूरे हो जाते हैं। नोटिस आए या न आए, बयानबाजी पूरी हो जाती है। ईडी भी मानो इस खेल का अहम किरदार बन चुकी है कभी प्रवेश, कभी पर्दे के पीछे। राजनीति में अब आरोप जांच से पहले और सफाई फैसले से पहले आ जाती है। कुल मिलाकर, भूपेश बघेल की "बढ़ती मुसीबतें" अब खबर कम और राजनीतिक परंपरा ज्यादा लगने लगी हैं- जहाँ जांच से ज्यादा चर्चा और कार्रवाई से ज्यादा आशंका बिकती है।

## हफ्ते का कार्टून

## ट्वीट-ट्वीट

अमित शाह का संसद में "साला" कहना वोट चोरी को लेकर उनकी घबराहट और बेईमानी को बेनकाब करता है।

-राहुल गांधी

कांग्रेस नेता @RahulGandhi

कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्च नेता, भारतीय राजनीति में त्याग की मूर्ति और भारत के लोकतंत्र को नई दिशा देने वाली श्रीमती सोनिया गांधी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।

ईश्वर से आपकी दीर्घायु और यशस्वी जीवन की कामना करता हूं।

बहुत-बहुत बधाई।

-कमलनाथ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

@OfficeOfKNath

## राजवीरों की बात

# भारतीय राजनीति में संतुलन, संवैधानिकता और सौम्यता का प्रतीक है शिवराज पाटिल

समता पाठक/जगत प्रवाह

भारतीय राजनीति में कुछ व्यक्तित्व ऐसे रहे हैं, जिन्होंने शोर से नहीं बल्कि संयम, गंभीरता और संस्थागत मर्यादा के साथ अपनी पहचान बनाई। शिवराज विष्णु पाटिल उन्हीं व्यक्तित्वों में से एक हैं। वे एक ऐसे राजनेता रहे हैं जिन्होंने प्रशासन, विधायिका और मंत्रिमंडल- तीनों क्षेत्रों में गरिमापूर्ण भूमिका निभाई। सरल व्यक्तित्व, शांत स्वभाव और संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता उनके सार्वजनिक जीवन की पहचान रही है। शिवराज पाटिल का जन्म 12 अक्टूबर 1935 को महाराष्ट्र के लातूर जिले में हुआ। एक सामान्य किसान परिवार में जन्मे शिवराज पाटिल ने जीवन की शुरुआत संघर्ष और अनुशासन के साथ की। प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण परिवेश में प्राप्त करने के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ाया। वे एक मेधावी छात्र रहे और कानून की पढ़ाई पूरी कर विधि स्नातक (LLB) बने। कानून की शिक्षा ने उनके भीतर संवैधानिक समझ, तर्कशीलता और लोकतांत्रिक मूल्यों की गहरी चेतना विकसित की, जो आगे चलकर उनके राजनीतिक जीवन का आधार बनी। शिवराज पाटिल का राजनीतिक जीवन कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा रहा। वे पहली बार 1980 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए और इसके बाद लगातार कई बार संसद पहुंचे। उन्होंने लातूर संसदीय क्षेत्र का लंबे समय तक प्रतिनिधित्व किया। सांसद के रूप में उनकी छवि एक गंभीर, विषयवस्तु-केंद्रित और नीति-आधारित नेता की रही। वे भाषणों में आक्रामकता से अधिक तथ्य और तर्क को महत्व देते थे।

शिवराज पाटिल के राजनीतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय तब शुरू हुआ जब वे 1991 में लोकसभा अध्यक्ष चुने गए। यह वह दौर था जब भारतीय राजनीति गठबंधन और अस्थिरता के दौर से गुजर रही थी। ऐसे समय में उन्होंने सदन की गरिमा, निष्पक्षता और संसदीय परंपराओं को बनाए रखने का प्रयास किया। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में उनका व्यवहार दलगत राजनीति से ऊपर रहा। उन्होंने सत्ता और विपक्ष दोनों के साथ समान दूरी बनाए रखी। संसदीय कार्यवाही को सुचारु रूप से संचालित करना, नियमों का पालन और संवाद के माध्यम से विवादों का समाधान—यह उनके कार्यकाल की विशेषताएँ रहीं।

शिवराज पाटिल ने केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। वे रक्षा मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री और अंततः केंद्रीय गृहमंत्री बने। प्रत्येक पद पर उन्होंने प्रशासनिक संतुलन और संस्थागत निरंतरता को प्राथमिकता दी। 2004 में यूपीए सरकार के गठन के बाद शिवराज पाटिल को केंद्रीय गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह मंत्रालय देश की आंतरिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और संघीय ढांचे के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उनका कार्यकाल आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से भरा रहा। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों के समन्वय, पुलिस सुधार और संघीय ढांचे में राज्यों की भूमिका को संतुलित रखने पर बल दिया। हालांकि 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दे दिया। यह निर्णय भारतीय राजनीति में दुर्लभ माना गया, जहां नैतिक उत्तरदायित्व स्वीकार करना कम ही देखने को मिलता है।

शिवराज पाटिल की राजनीति आक्रामकता या लोकलुभावन नारों पर आधारित नहीं रही। वे हमेशा संवाद, सहमति और संवैधानिक मर्यादा के पक्षधर रहे। उनका पहनावा, भाषा और व्यवहार- सबमें एक शालीनता दिखाई देती थी। वे सत्ता को अधिकार नहीं, जिम्मेदारी मानते थे। सक्रिय राजनीति से हटने के बाद शिवराज पाटिल ने पंजाब और चंडीगढ़ के राज्यपाल के रूप में भी सेवाएँ दीं। इस भूमिका में भी उन्होंने संवैधानिक संतुलन और संघीय मर्यादा का पालन किया। राज्यपाल रहते हुए उन्होंने राजनीतिक टकराव के बजाय संवाद और संवैधानिक प्रक्रिया को प्राथमिकता दी। शिवराज पाटिल का जीवन भारतीय राजनीति में एक शांत लेकिन मजबूत धारा की तरह है, जो बिना शोर किए लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाती रही। वे एक ऐसे राजनेता रहे जिन्होंने पद से अधिक प्रतिष्ठा को महत्व दिया। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए यह संदेश देता है कि राजनीति में नैतिकता और मर्यादा आज भी संभव है यदि इच्छाशक्ति हो।

# शौर्य के उत्सव और जिम्मेदारी को याद दिलाता है सशस्त्र सेना झंडा दिवस

सशस्त्र सेना झंडा दिवस एक ऐसा गौरवपूर्ण अवसर है जब राष्ट्र अपने वीर सेनानायकों को नमन करता है। यह दिन केवल कैलेंडर की तारीख नहीं, बल्कि देश के धड़कते दिल का वह पल है, जिसमें हम उन सैनिकों, वायुयोद्धाओं और नौसैनिकों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमारे आज की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। जब लाल, गहरा नीला और हल्का नीला रंग वाला प्रतीक-झंडा देशभर में दिखाई देता है, तो वह महज तीन रंग नहीं होता। वह हमारी श्रद्धा, हमारे सम्मान और राष्ट्रीय कर्तव्य का मौन संदेश होता है- मानो कह रहा हो: "हम अपने रक्षकों को कभी नहीं भूलेंगे।" सशस्त्र सेना झंडा दिवस केवल एक औपचारिकता नहीं; यह वह अवसर है जब पूरा देश अपने सैनिकों के अद्वितीय शौर्य, सर्वोच्च त्याग और सतत सेवा को नमन करता है। यह दिन हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के कवच का सम्मान है और उस कवच की देखभाल का हमारा दायित्व भी।

### आज की बात

प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

### इतिहास की आधारशिला - एक राष्ट्रीय संकल्प

इस दिवस की नींव स्वतंत्रता प्राप्ति के शुरुआती वर्षों में रखी गई। 28 अगस्त 1949 को रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में बनी समिति ने अनुभव किया कि "जो वीर राष्ट्र-रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं, उनके और उनके परिवारों के लिए स्थायी जीवन-सहायता और सम्मानजनक व्यवस्था बनाना राष्ट्र का नैतिक कर्तव्य है।" इसी संकल्प के साथ तय हुआ कि 7 दिसंबर को प्रतिवर्ष Armed Forces Flag Day मनाया जाएगा। तब से यह दिवस सम्मान, सहयोग और राष्ट्रीय एकता का जीवंत प्रतीक बन चुका है।

### राष्ट्रव्यापी सहभागिता: एक संवेदना, एक संकल्प

यह दिन सक्रिय भागीदारी का उत्सव है। शहर से लेकर गाँव तक झंडे-बैज वितरित होते हैं। हर नागरिक से यथाशक्ति दान लिया जाता है। स्कूल, कॉलेज, संस्थान कार्यक्रम आयोजित करते हैं। समाज सैनिक परिवारों तक पहुँचता है और उनका मान बढ़ाता है। यह लेन-देन मात्र आर्थिक नहीं - भावनात्मक और नैतिक संबंध का सूत्र है।

### सेना और नागरिक - भरोसे का अटूट बंधन

जब कोई नागरिक झंडा खरीदता है, तो वह केवल पैसा नहीं देता। वह एक वचन देता है- "जब सैनिक सीमा पर खड़ा है, तब हम उसके परिवार के साथ खड़े हैं।" यह दिवस हमें याद दिलाता है- स्वतंत्रता सस्ती नहीं होती। उसकी कीमत सैनिक चुकाते हैं, और उस त्याग का सम्मान हम सबका धर्म है।

### सम्मान के साथ जवाबदेही- हमारा नागरिक धर्म

हम अक्सर अपने सैनिकों पर गर्व करते हैं, पर झंडा दिवस हमें सिखाता है "देशभक्ति केवल गर्व नहीं; यह जिम्मेदारी भी है।" हमारा छोटा सहयोग किसी सैनिक की बेटी की शिक्षा बन सकता है। किसी दिव्यांग सैनिक की स्वाभिमान की रोशनी बन सकता है। किसी परिवार के जीवन में सम्मान का सहारा बन सकता है। यह केवल सहायता नहीं- राष्ट्र-निर्माण की सनातन परंपरा है।

### एक दिन नहीं, जीवन भर का संकल्प

यह दिवस हमें प्रतिज्ञा देता है कि हम अपने सैनिकों को कभी नहीं भूलेंगे। शहीद परिवारों के प्रति संवेदना को धर्म मानेंगे। पूर्व सैनिकों के सम्मान में सक्रिय रहेंगे। बच्चों और युवाओं को सैनिक प्रेरणा देंगे। क्योंकि राष्ट्र की रक्षा केवल सीमा पर नहीं होती - वह हमारे समाज, व्यवहार और कृतज्ञता में भी होती है।

### हम सब सिपाही हैं अलग-अलग मोर्चों पर

सीमा पर खड़ा जवान हमारे देश की भौतिक ढाल है, और हम समाज में रहकर उसकी नैतिक ढाल बनते हैं। "जवान सीमा पर और हम समाज में- दोनों मिलकर राष्ट्र की अजेय ढाल हैं।"

# तुष्टिकरण की नींव बनी वंदे मातरम् का विभाजन

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

मुस्लिम तुष्टिकरण की बुनियाद पर भारत को जितनी हानि उठानी पड़ी है, दुनिया के अन्य किसी देश ने नहीं उठाई। इसकी शुरूआत अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन से की, इसी कड़ी में वंदे मातरम गीत के टुकड़े किए गए और फिर देश का भी बंटवारा जिन्ना की अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाने की जिद के चलते हो गया। जबकि संपूर्ण वंदे मातरम् गीत भारत की शाश्वत संकल्पना है। राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में हुई चर्चा के दौरान गीत के विभाजन के लिए पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सीधे जिम्मेवार ठहराया। कहा, 'नेहरू ने जिन्ना की सांप्रदायिक चिंताएं दोहराकर वंदे मातरम के साथ विश्वासघात किया। गीत के टुकड़े कराए। इससे देश तुष्टिकरण की राजनीति की राह पर चल पड़ा, जो देश विभाजन पर जाकर थमा।' इसी तुष्टि के चलते 1875 में रचित इस गीत के केवल दो पद राष्ट्रीय गीत के रूप अपनाए गए।

मोदी के इस कथन ने इतिहास के इस काले पन्ने पर जमा धूल को हटाने का काम नए सिरे से कर दिया है। जबकि आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम् की भावना ने पूरे राष्ट्र का जागरण किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में इस गीत के महत्वपूर्ण पदों को उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। जिस भाव से वंदे मातरम् के टुकड़े किए गए थे, कालांतर में उसी भाव ने विभाजन के बीज बो दिए थे। जबकि यह ठोस और निर्विवाद सच्चाई है कि देश को आजादी दिलाने में इस गीत की अहम् भूमिका रही है। बंकिमचंद्र चटर्जी के बांग्ला भाषा में लिखे गए उपन्यास 'आनंद मठ' में यह गीत दर्ज है। राष्ट्रगान के रूप में स्वीकारा गया यह गीत कोई मामूली गीत नहीं है। भारत को उसकी व्यापक राष्ट्रीयता की पहचान और स्वाभिमान इसी गीत से प्राप्त हुए। नागरिक सभ्यता की विरासत, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानव सेवा के मूल्यों के उत्स इसी गीत के समवेत स्वर की उपज हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध भिन्न जातीय और धर्म-समुदायों को संगठित करने के अभियान में इसी गीत की भूमिका बुलंद थी। तय है, वंदे मातरम् क्रांति के स्वरों में नींव का पत्थर था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की रक्त धमनियों में विद्रोह की उग्र भावना इसी गीत की देन है। 1942 में महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन को देशव्यापी धरातल इसी गीत के बूते मिला था। और वह यही आंदोलन था, जिसमें गांधी ने 'करो या मरो' का नारा दिया था।यह नारा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करने वाला भी माना जाता है। सुभाषचंद्र बोस की आजाद हिन्द फौज के फौजियों ने भी इसी गीत को गाते हुए मातृभूमि की बलिवेदी पर प्राण न्यौछावर किए थे। हालाँकि महात्मा गांधी 1905 में ही लिख चुके थे कि वंदे मातरम इतना लोकप्रिय हो गया है कि वह राष्ट्रगान जैसा बन गया है।

14 अगस्त 1947 की मध्य-रात्रि में जब देश आजाद हो रहा था, तब इस मंत्र-गीत का गायन श्रीमती सुचेता कृपलानी ने किया और वहां उपस्थित लोग इस गीत के सम्मान में गीत खत्म न हो जाने तक खड़े रहे थे। 15 अगस्त 1947 को जब स्वतंत्रता का सूर्योदय हो रहा था, तब आकाशवाणी पर पंडित ओंकारनाथ ठाकुर ने इसे बड़े ही रोचक ढंग से गाया। आखिरकार 24 अगस्त 1948 को जन-गण-मन के साथ इस गीत को भी राष्ट्र गीत की प्रतिष्ठा मिली। लेखक और दार्शनिक युगदृष्टा होते हैं, इसलिए बंकिम बाबू ने इस गीत को लिखे जाने के वक्त ही अपनी दिव्य-दृष्टि से अनुभव कर लिया था कि यह गीत राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनकर लोकप्रियता के शिखर चूमेगा, इसीलिए उन्होंने इसे बांग्ला भाषा में न लिखते हुए संस्कृत में लिखा। मूल और संपूर्ण गीत की केवल नौ पंक्तियां बंगाली में हैं। इस गीत का जो संपादित अंश राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया है, वह केवल दो पद और आठ पंक्तियों में है।

वंदे मातरम् को इस्लाम विरोधी जताया जाता रहा है। जब कांग्रेस ने इसे प्रार्थना गीत के रूप में स्वीकार किया था, तब भी इसकी खिलाफत शुरू हो गई थी। 15 अक्टूबर 1937 को लखनऊ में मोहम्मद अली जिन्ना वंदे मातरम का विरोध किया। वस्तुतः नेहरू ने इस विरोध के पांच दिन बाद ही सुभाष बोस लिखे एक पत्र में कहा कि 'आनद मठ में उल्लेखित वंदे मातरम की पृष्ठभूमि मुसलमानों को उकसा सकती है।' इसी के बाद कांग्रेस कार्यकारिणी ने आचार्य नरेन्द्र देव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इसमें मौलाना आजाद, पंडित नेहरू और सुभाष चन्द्र बोस जैसे प्रखर संस्कृति मर्मज्ञ सदस्य थे। समिति को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वे रवीन्द्रनाथ ठाकुर से विचार-विमर्श कर वंदे मातरम् के संबंध में दो टूक सलाह दें। समिति द्वारा रवीन्द्रनाथ से परामर्श के बाद जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, उसके उपरांत कांग्रेस कार्यकारिणी ने फैसला लिया कि हरेक राष्ट्रीय सार्वजनिक सभा में वंदे मातरम् के केवल दो पद गाये जाएं।यानी कांग्रेस मुस्लिम लीग के समक्ष झुकी और मुस्लिम तुष्टिकरण की राह पकड़ ली। तुष्टि का यही रास्ता देश को विभाजन के द्वार तक ले गया।

बावजूद देश-विभाजन के लिए जिम्मेदार मुस्लिम लीग के नेता वंदे मातरम् को बुतपरस्ती, अर्थात मूर्ति पूजा मानते हुए इसका विरोध लगातार करते रहे। इस बहाने लीगियों ने अल्पसंख्यकों को खूब उकसाया। नतीजतन 1938 तक कांग्रेस के जो प्रमुख मुस्लिम नेता इस गीत की राष्ट्रीय गरिमा का ख्याल रखते चले आ रहे थे, वे भी दबी जुबान से इसका विरोध करने लगे। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप बहुसंख्यक हिंदू और सिख हठपूर्वक इस गीत की महिमा के बखान में लगे रहे। बाद में साझा सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के नजरिये से उर्दू के उदारवादी कवियों व राजनीतिकों ने वंदे मातरम् का अनुवाद 'ऐ मादर, तुझे सलाम करता हूं' किया, अर्थात हे माता, तुझे प्रणाम करता हूं करके किया, लेकिन कट्टरपंथियों के भाव उतरा नहीं।जबकि मुल्क को गुलामी से आजाद कराने की इस इबादत में गलत कुछ भी नहीं था। अरबी-फारसी के अनेक कवियों ने भी देश को 'मां' कहकर संबोधित किया है। लिहाजा राष्ट्र के प्रति अपनी भावनाओं व उद्गारों को प्रचलित रूपकों अथवा प्रतीकों में प्रकट करना मूर्ति पूजा या बुतपरस्ती कतई नहीं थी। वंदे मातरम् एक मौलिक रचना है, इसकी व्याख्या धर्म नहीं, केवल साहित्य के संदर्भ में होनी चाहिए थी। इसे यदि कोई सांसद या विधायक इस्लाम विरोधी जताता है, तो उसका मकसद धर्म के बहाने राजनीतिक रोटियां सेंकना भर था, जो अलगाववादी राजनीति की संकीर्ण मानसिकता का प्रतीक है।जिन्ना और अन्य लीगी इसी विभाजनकारी मानसिकता से काम करते रहे और देश दो टुकड़ों में बंट गया। स्वतंत्र भारत में निर्वाचित कुछ मुस्लिम सांसद और विधायक संविधान की शपथ लेने के बाद भी सदन में इस गीत का अनादर करते रहते हैं। ऐसे ही चंद सिरफिरे मुस्लिमों ने आजाद हिंद फौज के नारे, 'जय हिंद' का भी विरोध किया था। दैनिक अखबार 'डान' ने वंदे मातरम् की आलोचना की थी, तब गांधी को कहना पड़ा था, 'वंदे मातरम् कोई धार्मिक नारा नहीं है, यह विशुद्ध राजनीतिक नारा है।' यही नारा था, जिसने सोये हुए भारत को जगाने का काम करके, आजादी हासिल कराई थी। अतएव संसद में इस गीत के इतिहास में झांकने की बहस को एक सबक के रूप में लेना चाहिए, जिससे भविष्य में देश की संप्रभुता एवं अखंडता से खिलवाड़ की गुंजाइश ही नहीं रह जाए?

# एम्स भोपाल ने नवाचार के माध्यम से जीवन में परिवर्तन लाने हेतु अपना पहला असिस्टिव हेल्थ टेक्नोलॉजी हैकाथॉन आयोजित किया

-समता पाठक

जगत प्रवाह. भोपाल। एम्स भोपाल लगातार चिकित्सा नवाचार और समावेशी स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसी संदर्भ में, विकलांगता, हैंडीकैप और असिस्टिव हेल्थ टेक्नोलॉजी (AHT) की आवश्यकता को समझना अत्यंत आवश्यक है।। विकलांगता किसी भी शारीरिक, संवेदी, संज्ञानात्मक या मनो-सामाजिक कमी को दर्शाती है, जिससे व्यक्ति की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। वहीं हैंडीकैप वह सामाजिक या पर्यावरणीय बाधा है, जो व्यक्ति की कमी और बाहरी अवरोधों के बीच उत्पन्न होती है। सभी विकलांग व्यक्ति हैंडीकैप्ड नहीं होते; जब तक उचित समर्थन, सुलभता और तकनीक उपलब्ध नहीं होती, तब तक सीमाएँ बाधा बन जाती हैं। इसी कारण असिस्टिव हेल्थ टेक्नोलॉजी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से जीने, संवाद करने, सीखने, काम करने और समाज में पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने में सहायता करती है। असिस्टिव टेक्नोलॉजी (AT) और असिस्टिव हेल्थ टेक्नोलॉजी (AHT) में मोबिलिटी एड्स, प्रोस्थेटिक्स, ऑर्थोटिक्स, संचार उपकरण, संवेदी

सहायताएँ, डिजिटल हेल्थ समाधान और उभरती हुई एआई आधारित तकनीकें शामिल हैं। ये तकनीकें व्यक्तियों की कार्यात्मक सीमाओं को दूर करके सम्मान, स्वतंत्रता और समान भागीदारी सुनिश्चित करती हैं। विश्व स्तर पर असिस्टिव प्रोडक्ट्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार, 2.5 अरब से अधिक लोगों को कम से कम एक असिस्टिव प्रोडक्ट की आवश्यकता है। वृद्ध होती जनसंख्या, दीर्घकालिक रोगों और विकलांगता की बढ़ती संख्या के कारण यह मांग और बढ़ेगी। इसके बावजूद लगभग एक अरब लोगों को असिस्टिव टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है, जिसका कारण उच्च लागत, सीमित उत्पादन, कम जागरूकता और स्वास्थ्य प्रणालियों में AHT का अपर्याप्त समावेश है। इसका प्रभाव शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य परिणामों और सामाजिक भागीदारी पर पड़ता है। भारत की स्थिति भी इसी तरह की चुनौतियों को दर्शाती है। देश में बड़ी संख्या में दिव्यांगजन और तेजी से बढ़ती वृद्ध आबादी है, जिससे AHT की मांग बढ़ती जा रही है। इसके बावजूद उन्नत, उच्च-गुणवत्ता और किफायती AHT तक पहुँच सीमित है। ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में जागरूकता और वहन क्षमता की कमी बनी हुई है। भारत अभी भी असिस्टिव हेल्थ टेक्नोलॉजी के स्वदेशी अनुसंधान, नवाचार और उत्पादन में पीछे है। आयातित उत्पाद महंगे होने के साथ-साथ कई बार स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होते। इस कमी के कारण लाखों लोग, जो AHT की सहायता से अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं, वंचित रह जाते हैं। इसी महत्वपूर्ण आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आईसीएमआर (ICMR) और एनसीएएचटी (NCAHT) एम्स नई दिल्ली के सहयोग से एम्स भोपाल में इंटर-एम्स कोलैबोरेशनः कोलैबोरेटिंग सेंटर फॉर असिस्टिव हेल्थ टेक्नोलॉजी (CCAHT) की स्थापना की गई है।

# पेड़ और जंगल की कटाई पृथ्वी के लिए हानिकारक है

**पर्यावरण की फिक्र**

डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद

पेड़ों के हो रहे बेतहास कटान से एक तरफ़ सांस लेने योग्य शुद्ध हवा की कमी महसूस की जा रही है। वहीं बढते प्रदूषण ने ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भयावह रूप अख्तियार कर चुकी है। वर्तमान में कृषि भूमि, गोचरान, नदी नालों के किनारों से हो रही पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से सभी भली भाली परिचित है। पेड़ों की अत्याधिक कटाई व उनके अवैध व्यापार से जंगलों पर दवाब बढ़ता जा रहा है जिसके चलते वन सम्पदा नष्ट होने के कगार पर पहुंच चुकी है साथ ही राष्ट्रीय पार्कों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मौजूदा हालात गवाह है कि अब जंगलों में विलायती बबूल के अलावा वन सम्पदा दिखाई नही देती है। दूसरी तरफ वन्य जीवों के आवास खत्म होते जाने से उनका जंगलों में रहना मुश्किल हो रहा है। यही नही पेड़ों के कटान से वर्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

आज के युग में, जब दुनिया तकनीकी उन्नति और आर्थिक विकास की ओर तेजी से अग्रसर है, तब प्रकृति के साथ हमारा संतुलन बुरी तरह से बिगड़ता जा रहा है। विशेष रूप से जंगलों का कटान और पेड़ों का विनाश एक गंभीर समस्या बन गया है। यह संकट केवल पर्यावरणीय दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के भविष्य के लिए भी एक भयंकर चुनौती बन चुका है।जंगल, धरती के फेफड़े माने जाते हैं। ये न केवल वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बनाए रखने में मदद करते हैं, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को नियंत्रित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेड़ों और जंगलों के बिना, पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना असंभव है। ये पेड़-पौधे न केवल हमें शुद्ध हवा देते हैं, बल्कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र में योगदान देते हैं। औषधीय पौधों से लेकर लकड़ी और कागज तक, पेड़ हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। इसके अलावा, जंगलों का संरक्षण वन्यजीवन की विविधता और जैविक संतुलन को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। विश्व भर में लाखों प्रजातियां जंगलों पर निर्भर करती हैं, और इनका विनाश सीधे तौर पर इन प्रजातियों के अस्तित्व पर खतरा डालता है। जब एक जंगल काटा जाता है, तो उस क्षेत्र की पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है। वन्यजीवों का आश्रय छिन जाता है, और उनके लिए भोजन के स्रोत भी समाप्त हो जाते हैं। इससे कई प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा बढ़ जाता है, जो वैश्विक जैव विविधता को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है।

जंगलों के घटते क्षेत्रफल का प्रभाव न केवल स्थानीय स्तर पर महसूस किया जा रहा है, बल्कि इसका असर वैश्विक स्तर पर भी हो रहा है। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारणों में से एक जंगलों की कटाई है। जब पेड़ काटे जाते हैं, तो वे अपने अंदर संग्रहीत कार्बन को मुक्त कर देते हैं, जो वातावरण में जाकर ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा को बढ़ाता है। यह तापमान में वृद्धि का कारण बनता है, जिसके परिणामस्वरूप ध्रुवीय बर्फ का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना, और अप्रत्याशित मौसम परिवर्तन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।

इसके साथ ही, जंगलों का कटान और पेड़ों का विनाश भी जल संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। पेड़ और वनस्पतियाँ वर्षा जल को अवशोषित करके उसे भूमिगत जल के स्रोतों में संग्रहीत करने में मदद करती हैं। लेकिन जब ये पेड़ काटे जाते हैं, तो जल संचय की यह प्रक्रिया बाधित हो जाती है, जिससे जल संकट की समस्या बढ़ जाती है। कई क्षेत्रों में पानी की कमी के कारण कृषि और पेयजल की समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं, जिससे स्थानीय आबादी की आजीविका पर गहरा असर पड़ रहा है। मानव गतिविधियों, जैसे कि खेती, उद्योग, और शहरीकरण, के चलते जंगलों की कटाई हो रही है। बड़े पैमाने पर कृषि भूमि के विस्तार, लकड़ी की मांग और शहरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति ने जंगलों को बुरी तरह प्रभावित किया है। विशेष रूप से विकासशील देशों में, जहां आर्थिक प्रगति की दौड़ में प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है, वहाँ जंगलों का विनाश तेजी से हो रहा है। यह स्थिति और भी गंभीर हो जाती है जब स्थानीय समुदायों और आदिवासी जनजातियों का जीवन और संस्कृति सीधे तौर पर जंगलों पर निर्भर होता है। जंगलों के बिना, ये समुदाय अपनी पारंपरिक जीवनशैली को खोने के साथ-साथ अपनी पहचान और आजीविका को भी खो देते हैं।

इस समस्या के समाधान के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाना आवश्यक है। सबसे पहले, हमें जंगलों के संरक्षण और पुनर्स्थापन पर जोर देना होगा। वृक्षारोपण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, और नई तकनीकों का उपयोग करके जंगलों के कटान को रोकने के प्रयास किए जाने चाहिए। इसके अलावा, स्थानीय समुदायों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक करना और उन्हें जंगलों के संरक्षण में शामिल करना आवश्यक है। साथ ही, सरकारों को सख्त नियम और कानून बनाकर, जंगलों की कटाई पर नियंत्रण लगाना होगा, और उन कंपनियों और व्यक्तियों पर कठोर कार्रवाई करनी होगी जो अवैध रूप से जंगलों को काटते हैं।

प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। यदि हम अब भी नहीं चेते और अपने जंगलों और पेड़ों को संरक्षित करने के लिए कदम नहीं उठाए, तो आने वाली पीढ़ियों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण न केवल हमारे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व के लिए भी अनिवार्य है। हमें यह समझना होगा कि पृथ्वी हमारी नहीं, बल्कि हम पृथ्वी के हैं। इसलिए, इस अमूल्य धरोहर को बचाने के लिए हमें आज और अभी से कार्य करना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण में जीवन जी सकें।

# एसआईआर को लेकर मध्यप्रदेश में नया विवाद;

## एसआईआर के नाम पर ब्लैकमेल कर रही मध्यप्रदेश सरकार

(पेज 1 का शेष)

### एसआईआर आवश्यक है, लेकिन निष्पक्षता व संवेदनशीलता बनी रहे

लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार और समाज की बुनियादी सुविधाएँ दो अलग-अलग आधार होने चाहिए। अगर मतदाता सूची में नाम जुड़वाना अनिवार्य है, तो प्रक्रियात्मक रूप से लोगों को सुविधा, सूचना और अवसर दिए जाएँ न कि धमकाकर या डराकर। सरकार को चाहिए कि एसआईआर अभियान को सूचना मुहिम, दस्तावेज़ों के सरल विकल्प, स्थानीय मदद-केन्द्र और संवेदनशीलता के साथ आगे ले जाए।

### राजनीतिक सरगर्मी: क्यों बढ़ी?

राजपूत के बयान और कमलनाथ के तीखे प्रति उत्तर के बाद, इस मुद्दे ने सियासी हलचल तेज कर दी है। विपक्ष ने इसे पूर्वाभास माना है कि एसआईआर का प्रयोग सिर्फ मतदाता सूची की पवित्रता के लिए नहीं, बल्कि वोट बैंक और सामाजिक सहायता योजनाओं को राजनीतिक नियंत्रण में बाँधने का माध्यम बन सकता है। साथ ही, यह विवाद यह भी उजागर करता है कि ज़रूरत सिर्फ 'नाम जोड़ना' या 'नाम हटाना' भर नहीं है बल्कि मतदाता सुरक्षा, संवैधानिक अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, लोकतंत्र की आत्मा और नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा भी है।

### लोकतंत्र तभी मजबूत, जब नागरिक-अधिकार सुरक्षित हों

एसआईआर जैसी प्रक्रियाएँ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का हिस्सा हो सकती हैं। बशर्ते वे निष्पक्ष, पारदर्शी, संवेदनशील और अधिकार-आधारित हों। लेकिन अगर इनका उपयोग राजनीतिक दबाव, डर या ब्लैकमेल के लिए किया जाए जैसे मंत्री का बयान तो यह लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और नागरिक विश्वास के लिए खतरा बन जाता है। कमलनाथ के स्पष्ट कदम, विपक्ष का जागरूकता-आह्वान और जनता की सतर्कता इस बात को दर्शाते हैं कि लोकतंत्र सिर्फ वोट देने तक सीमित नहीं वह अधिकार, सम्मान और सुरक्षा की गारंटी भी है। इस संकट की घड़ी में जब SIR जैसा संवेदनशील विषय विवाद की जद में आया है जरूरी है कि मतदाता सूची को अपडेट किया जाए, मगर साथ ही नागरिक अधिकारों की रक्षा भी हो, राशन-पानी, आधार-भत्ता जैसी सामाजिक लाभों को मतदान या मतदाता सूची से जोड़कर न, बल्कि संवैधानिक सुरक्षा व समान नागरिक अधिकार के आधार पर बांधा जाए।

### मध्यप्रदेश की जनता की सेवा के लिए फिर से सक्रिय हुए कमलनाथ

मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लंबे समय तक विश्वासपात्र सांसद, हाल-फिलहाल राजनीतिक बहसों व सियासी हलचलों के बीच कमलनाथ फिर से सक्रिय हो रहे हैं। पिछले विधानसभा व लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की पराजय और मध्यप्रदेश में सत्ता से दूर रहने के बावजूद, कमलनाथ ने खुद को सिर्फ आलोचक या पूर्व नेता नहीं, बल्कि जनता की आवाज़ बनाकर खड़ा किया है। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने बार-बार उन मुद्दों को उठाया है जो सीधे जनकल्याण, लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों से जुड़े हैं- चाहे वह मतदाता सूची का सही एवं निष्पक्ष पुनरीक्षण हो, या कुप्रबंधन व सरकारी लापरवाही के कारण हुई मौतों व अन्य सामाजिक-आर्थिक संकट। इन बयानों के माध्यम से वे यह संदेश दे रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में जनता की आवाज़ दबने नहीं पाएगी। जब राज्य सरकार द्वारा फैसला किया गया कि कफ सिरप से प्रभावित परिवारों को मात्र सीमित मुआवजा दिया जाएगा। कमलनाथ ने कहा कि यह पर्याप्त नहीं है। उन्होंने 23 बच्चों की मौत के मामले में सरकार को "सरकारी लापरवाही" का दोषी ठहराया और मृत परिवारों को उचित मुआवजा व न्याय दिलाने की मांग की। इतने बड़े दावों और संघर्षों के बीच भी, कमलनाथ ने यह स्पष्ट किया है कि उनकी लड़ाई सिर्फ सत्ता पाने की नहीं जनता की सुरक्षा, संवैधानिक अधिकारों और न्याय दिलाने की है। 2024 के लोकसभा चुनावों में पराजय के बाद उन्होंने पार्टी व कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मैदान पर पुनर्गठन की दिशा चुनने की ओर संकेत दिया है। इस सक्रियता का दूसरा पहलू संगठनात्मक भी दिख रहा है। कमलनाथ, पार्टी कार्यकर्ताओं से लगातार अपील कर रहे हैं कि वे जोर-शोर से क्षेत्र स्तर पर सक्रिय हों। मतदान प्रक्रिया, मतदाता सूची, जनता की चिंताओं व शिकायतों को जनता तक लेकर जाएँ। यह सिर्फ चुनावी रणनीति नहीं, बल्कि राजनीतिक नैतिकता और सामाजिक जवाबदेही की ओर एक आपका कदम है। इस प्रकार, कमलनाथ की वापसी को केवल "पूर्व मुख्यमंत्री का फिर सक्रिय होना" नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे मध्यप्रदेश की राजनीति में जनहित, न्याय और लोकतंत्र की आवाज़ की वापसी मान जाना चाहिए। सत्ता-स्वाद भले अभी दूर हो, लेकिन जनता के संघर्ष में उनकी भागीदारी ने यह दिखा दिया है कि राजनीति का असली अनुष्ठान सत्ता में नहीं, जनता के साथ खड़े रहने में है।

### लोकतंत्र पर प्रश्न या डराने की राजनीति

हालांकि एसआईआर प्रक्रिया लोकतांत्रिक सुधार के नाम पर शुरू हुई है, पर मंत्री राजपूत के बयान ने इसे विवादित बना दिया। उन्होंने कहा कि नाम न जुड़वाने वालों को राशन, पानी आदि सरकारी सुविधाएँ नहीं मिलेंगी।

छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 25

# डबल इंजन की सरकार में विकास सुपरफास्ट

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

- **रावघाट- जगदलपुर रेल परियोजना** के साथ रेल नेटवर्क मैप से जुड़ रहा बस्तर
- **पीएम जनमन योजना** के साथ जनजाति समुदाय का हो रहा विकास
- दक्षिण छत्तीसगढ़ में **बोधघाट परियोजना** बनेगी हरियाली और समृद्धि का वरदान
- **महतारी वंदन** से महिलाओं को संबल
- किसानों को बकाया बोनस, **पीएम किसान सम्मान निधि** का भी लाभ
- **26 लाख से अधिक** परिवारों को अपना पक्का आवास
- जगदलपुर- विशाखापत्तनम और रायपुर- विशाखापट्टनम **नई सड़क परियोजनाओं** से विकास की नई राहें
- स्पष्ट नीति और मजबूत निर्णयों के साथ **सुशासन का राज**

R.O. No. : 13569/ 2

/ChhattisgarhCMO /DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। **संपादक : विजया पाठक।**
**RNI-MPBIL/2011/39805** समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)